सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं0 148/2022 (GCMS 2022/265) **अनवानी विमला देवी** पत्नी स्व. बी.डी. जिन्दल, जाति अग्रवाल निवासी 86/8, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर **बनाम 1. आदित्य गोयल** पुत्र पवन गोयल जाति अग्रवाल निवासी 4-सी-19, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर **2. सुभाष चन्द्र गोयल** पुत्र फूलचन्द गोयल जाति अग्रवाल निवासी 4-ए-33, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर **3. स्टेट** ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार **(राजस्व), श्रीगंगानगर 4. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलवन्त सिंह ने पूर्व में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हुआ है कि पक्षकारान में राजीनामा हो गया है, इसलिए वे इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिए उनकी पत्रावली इसी आधार पर दाखिल दफ़्तर कर दी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय के लम्बित प्रकरण संख्या 118/2022 (दावा) अनवानी श्रीमती विमला देवी बनाम आदित्य गोयल व अन्य मय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 116/2022 अनवानी श्रीमती विमला देवी बनाम आदित्य गोयल व अन्य में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि पक्षकारान में राजीनामा हो गय है और वे आगे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी विमला देवी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर